

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

आदेश सं 02/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

का.आ.....(अ) .- चूंकि, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित ऐसे बीजकों या बीजक का सम्बन्ध है, की समाप्ति के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के प्रस्तुत किए जाने या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं होगा।

और, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि, -

ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए धारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन असुमेलित रहे हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या लोप ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, का सुधार करेगा और कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, यदि ऐसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के मद्दे कर का कम संदाय किया गया है :

परंतु उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे ऐसे ब्यौरे सम्बन्धित हैं या सुसंगत वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत किए जाने, इनमें जो भी पहले हो, के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

और, वित्तीय वर्ष 2017-18 भारत में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और करदाता अभी भी नई कराधान प्रणाली से स्वयं को सुपरिचित कराने की प्रक्रिया में थे और उक्त सुविज्ञता के अभाव के कारण-

- (i) इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर उपधारा (4) में निर्दिष्ट गुम हुए बीजकों या नामे नोटों के कारण धारा 16 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसका दावा नहीं कर सके ;
- (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार त्रुटि या लोप का सुधार नहीं कर सकेगा;

जिसके परिणामस्वरूप धारा 16 की उपधारा (4) और धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों को प्रभावी करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 है, -

2. उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक के सम्बन्ध में मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं।”

3. उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च मास, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा।”

[फा. सं. 20/06/16/2018-GST]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)  
अवर सचिव, भारत सरकार